जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
गोतमवुध्दनगर

सेवा मे प्रवन्धक
एन० एम० पब्लिक स्कूल सैनी
सैनी बिसरख

पत्रांक / मान्यता । 1814-1857 1998-99 दिनांक 12-2-99

विषय:- प्राईमरी प्रस्तर की स्थाई / ~~अस्थाई~~ मान्यता के सम्बन्ध मे ।

महोदय ,

क्त विषयक आपके आवेदन पत्र एव निरीक्षक की आख्या के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक -12/2/99 के प्रस्ताव सख्या (20) के निर्णय के अनुसार कतिपय प्रतिवन्धो के साथ स्थाई / ~~अस्थाई~~ प्राईमरी स्तर एव कक्षा । से कक्षा 5 तक की जौलाई 98 से मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिवन्ध

1- प्रवन्धीकरण की विनियम वर्णित एक्ट के अन्तर्गत वेतन का भुगतान करना होगा ।

2- प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति की जाये ।

3- विद्यालय मे स्वीकृत पाठयक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाये।

4- छात्रो से निर्धारित शुल्क लिया जाये ।

5- विद्यालय की प्रवन्धक समिति का अनुमोदन करानाअनिवार्य

6- आवश्यकतानुसार विज्ञान / क्रि T / शिक्षण एव समाज पयोगी सामाग्री व पुस्तको की व्यवस्था की जाये।

7- बिना विभाग अनुमोदन के नियुक्त न किया जाये ।

8- विद्यालय की प्रगति 30 जून 99 तक अवगत कराये।

भवदीय

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
गोतमवुध्दनगर

प० स०/ मान्यता ।1814- 1857 1998-99 दिनांक 12-2-99

प्रतिलिपि निम्नाकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- समाज कल्याण अधिकारी गोतमवुध्दनगर

2- सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी गोतमवुध्दनगर

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
गोतमवुध्दनगर

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,

~~एन० एम० पब्लिक स्कूल,~~
सैनी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर ।

पत्रांक सं०: शि.स./ 5082-86 /2004–05 दिनाँक 16-3-05

विषयः– जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक 16-3-2005 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15–6–97–18 एस (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :–

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्ते पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नहीं करा ली जाती।
2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निमार्ण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।
5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।
7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।
8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नही किया जायेगा।
9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।
10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12) विभागीय आदेशों का पालनप किया जाये।

13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।

14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठायें तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निर्माण करायें।

भवदीय,

16/3/05

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

पृ0सं0 शि.स./ /2004-05 _ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र., इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
5. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र, ।
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नोएडा

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

Ckg/jhr/mmm